न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :–03/36/2024 ऑन लाईन नम्बरः–2024/238 प्रवेश तिथिः–02.04.2024

1. पटवारी हल्का थानाराजाजी जरिये तहसीलदार राजगढ जिला अलवर।

.....प्रार्थी

बनाम्

1. रामकरण पुत्र नहना जाति मीना निवासी खरखडा तहसील राजगढ जिला अलवर राज0।

.....अप्रार्थी

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली अन्तर्गत धारा 177
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
उपस्थित– तहसीलदार राजगढ–प्रार्थी

–:निर्णयः– **दिनांकः–22/08/2025**

1. आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की हाल खसरा संख्या 187/492/0.19 है0 वाके ग्राम खरखडा तहसील राजगढ जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त विवादीत आराजी का खातेदारी अप्रार्थी कृषि प्रयोजनार्थ की भूमि है। जिसे अप्रार्थी के द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी हेतु प्लॉटिंग कर जमीन को खर्दु–बुर्द कर रहे है। जिसका अप्रार्थी को हक नही हे। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के कानूनी प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है। जिसे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी को जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायाचित है। प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय के लिए मुखासमत दिनांक 02.04.2024 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी से के अवैध रूप से प्लॉटिग का कार्य करने की सुचना जरिये रिपोर्ट दी। तहसीलदार राजगढ को पटवारी हल्का से दिनांक 12.02.2024 को इस आश्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई कि बिना सक्षम स्वीकृति के आराजी खसरा 187/492/0.19 है वाके ग्राम खरखडा तहसील राजगढ पर अवैध प्लाटिंग कर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थी के द्वारा कृषि भूमि समपरिवर्तन करने की कोई सक्षम स्वीकृति प्राप्त नही की गई है। तथा मौके पर यह भूमि अब पुनः कृषि उपयोग में लेने योग्य नही रही है। ना ही कृषि भूमि का स्वरूप बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के कर लिया है। जिससे राज्य सरकार को को राजस्व हानि हुई है। अन्त में प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी बाद सुचना तामिल उपस्थित नही आने की स्थिति में उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रार्थी तहसीलदार राजगढ ने साक्ष्य हेतु पटवारी हल्का व गिरदावर के साक्ष्य पेश किये जिसके बयान लेखबद्व किये गये जो शामिल मिशल है।

3. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ की सुनी गई। तहसीलदार राजगढ द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ताईद की। और प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

4. बहस प्रार्थी तहसीलदार राजगढ पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है। कि खातेदार अप्रार्थी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 187/492/0.19 वाके ग्राम खरखडा तहसील राजगढ अर्थात कृषि योग्य भूमि का बिना विधिक प्रक्रिया की अनुपालना किये एवं बिना सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त किये मौके पर प्लॉटिंग करके आवासीय प्रयोजनार्थ काम लिया जा रहा है। पटवारी हल्का की मौका फर्द दिनांक 12.02.2024 से इस तथ्य की पुर्ण रूप से पुष्टि होती है। खातेदार द्वारा बाद सूचना तामील के न तो उक्त तथ्य का खण्डन किया है एवं ना ही अपने बचाव में कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है। खातेदार द्वारा विवादित आराजी कृषि भूमि पर प्लॉटिंग करके आवासीय कॉलोनी के रूप में अनुप्रयोग करना अहितकर कार्य की श्रेणी में आता है। तथा यह खातेदार की खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुए बेदखल किए जाने का पर्याप्त आधार है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र भली–भाती साबित होता है। अप्रार्थी खातेदार को विवादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकारों को विलोपित करते हुऐ विवादित आराजी से बेदखल करते हुए सिवायचक खाता सरकार दर्ज करना विधि सम्मत प्रतीत होता है। अतः–

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत प्रार्थी तहसीलदार राजगढ का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी खसरा संख्या 187/492/0.19 वाके ग्राम खरखडा तहसील राजगढ जिला अलवर से अप्रार्थी खातेदार रामकरण पुत्र नहना जाति मीना के खातेदारी के अधिकार विलोपित करते हुए विवादित आराजी को सिवायचक खाता सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही अप्रार्थी को विवादित आराजी से बेदखल किया जावे।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भंडार हो।

यह आदेश आज दिनांक 22/08/2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर